SC RULING RAISES RED FLAGS FOR DIGITAL MEDIA

A recent Supreme Court verdict permitting both the Centre and states to levy separate taxes on precedent could pave the way for fresh levies on OTT platforms, digital media, and even social networks—under the umbrella of "entertainment" taxation.

While the ruling is rooted in pre-GST laws, the apex court held that service tax (central) and entertainment tax (state) are distinct and can coexist. However, legal and industry voices argue that the decision could lead to fragmented taxation and renewed policy uncertainty for digital platforms, which were expected to operate under a streamlined GST regime.

Rohit Jain, Managing Partner at Singhania & Co., criticized the verdict's foundational basis: "The court seems to have overlooked the legal nuance between 'entertainment' and 'entertainments'—terms that carry different legal weight. The ruling could now be used by states to justify new taxes on OTT content or even social media."

Broadcast executives share the anxiety. "With ad revenues already under pressure and subscriber churn rising, adding another unpredictable tax burden would hurt broadcasters and digital content platforms alike," said a senior industry official.

Legal experts caution that while GST subsumes most indirect taxes, Entry 62 of the State List still allows states to regulate and tax entertainment through local bodies. SR Patnaik, Partner at Cyril Amarchand Mangaldas, noted: "This ruling constitutionally validates dual taxation—especially when different aspects fall under separate legislative powers. But it complicates compliance."

Patnaik advised digital and OTT platforms to prepare for jurisdiction-specific challenges: "How services are classified and where they are consumed will now play a critical role in determining tax exposure."

Several legal voices are calling for a review petition to challenge the ruling before it reshapes India's digital tax landscape.■

एससी के फैसले ने डिजिटल मीडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी

हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों दोनों को अलग कर लगाने की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया, जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया व यहां तक की सोशल नेटवर्क पर भी नये कर का रास्ता साफ हो सकता है जिसे 'मनोरंजन' कराधान के नाम से जाना जयेगा।

हालांकि यह फैसला जीएसटी के पहले के कानूनों पर आधारित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवा कर (केंद्रीय) और मनोरंजन कर (राज्य) अलग-अलग हैं। हालांकि, कानूनी और उद्योग जगत की आवाज का तर्क है कि इस फैसले से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए खंडित कराधान और नयी नीति अनिश्चितता हो सकती है, जिससे एक सुव्यवस्थित जीएसटी व्यवस्था के तहत काम करने की उम्मीद थी।

सिंघानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन ने फैसले के आधारभूत आधार की आलोचना कीः ऐसा लगता है कि न्यायलय ने मनोरंजन और मनोरंजन के बीच कानूनी बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कानूनी महत्व अलग-अलग है। इसका इस्तेमाल राज्य ओटीटी कंटेंट या यहां तक कि सोशल मीडिया पर नये करों के लिए कर सकते हैं।

प्रसारण अधिकारी भी इस चिंता को साझा करते हैं। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा 'विज्ञापन राजस्व पर पहले से ही दबाव है और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में एक और अप्रत्याशित कर बोझ से प्रसारकों और डिजिटल सामग्री प्लेटफॉर्म दोनों को नुकसान होगा।

कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जीएसटी में अधिकांश अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, लेकिन राज्य सूची की प्रवृष्टि **62** अभी भी राज्यों को स्थानीय निकायों के माध्यम से मनोरंजन को विनियमित करने और कर लगाने की अनुमति देती है। सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर एसार पटनायक ने कहा 'यह निर्णय संवैधानिक रूप से दोहरे कराधान को वैध बनाता है-खासकर जब विभिन्न पहलू अलग-अलग विधायी शक्तियों के अंतगर्त आते हैं। लेकिन यह अनुपालन को जटिल बनाता है।'

पटनायक ने डिजिटल और ओटीटी प्लटफॉर्म को क्षेत्राधिकार विशिष्ट चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दीः'सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और उनका उपभोग कहां किया जाता है, यह अब कर जोखिम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।'

कई कानूनी पक्ष इस फैसले को चुनौती देने के लिए समीक्षा याचिका की मांग कर रहे हैं, इससे पहले की यह भारत के डिजिटल परिदृश्य को नया रूप दे।■